## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1020 / 2024
अनवान : –

1. अक्षत पुत्र राजेश कुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा ।

– वादी

**बनाम्**

1. राजेश कुमार पुत्र भरत सिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांक: 29/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 666 / 667 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 19.2100 है0 भूमि में से 196 / 1921 हिस्सा भूमि वादी की माता मृतका शारदा पत्नी राजेश कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी की माता शारदा पत्नी राजेश कुमार का स्वर्गवास हो चुका जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस राजेश कुमार (पति) व अक्षत (पुत्र) है। उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र वादी के पक्ष में परित्याग कर चुका है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरौक्त भूमि में वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया [illegible] अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण शारदा, सदस्य प्रमाण पत्र दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शारदा के नाम दर्ज है। वादी की माता शारदा पत्नी राजेश कुमार का स्वर्गवास हो चुका जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस राजेश कुमार (पति) व अक्षत (पुत्र) है। उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र वादी के पक्ष में परित्याग कर चुका है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरौक्त भूमि में वादी अकेला काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 666/667 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 19.2100 है0 भूमि में से 196/1921 हिस्सा भूमि वादी की माता मृतका शारदा पत्नी राजेश कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शारदा के नाम दर्ज है। वादी की माता शारदा पत्नी राजेश कुमार का स्वर्गवास हो चुका जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस राजेश कुमार (पति) व अक्षत (पुत्र) है। उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र वादी के पक्ष में परित्याग कर चुका है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरौक्त भूमि में वादी अकेला काबिज है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि [illegible] वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। [illegible] द्वारा प्रस्तुत तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा शारदा के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 666/667 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 19.2100 है0 भूमि में से 196/1921 हिस्सा भूमि में मृतका शारदा पत्नी राजेश कुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1020 / 2024

अनवान : –

1. अक्षत पुत्र राजेश कुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा ।

**– वादी**

**बनाम्**

1. राजेश कुमार पुत्र भरत सिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 1020 सन 2024 निर्णय दिनांक** 28/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 666 / 667 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 19.2100 है0 भूमि में से 196 / 1921 हिस्सा भूमि में मृतका शारदा पत्नी राजेश कुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested